

CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889  
Phone: 07805- 266961/267736, (FAX) 267736 website : www.nclcil.in

एन.सी.एल/मानव संसाधन विकास/अधिसूचना/21/१२


दिनांक: 4<sup>th</sup> June, 2021

**अधिसूचना**

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एक मिनी रत्न कंपनी), कोल इंडिया लिमिटेड (एक 'महारत्न' कंपनी) की एक सहायक कंपनी है। नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में संचालित अपनी विभिन्न इकाइयों में शिक्षता प्रशिक्षुओं को एक वर्ष का प्रशिक्षण देने हेतु आवेदन आमंत्रित करती है।

शिक्षता प्रशिक्षु अधिनियम 1961, शिक्षता प्रशिक्षु नियम 1992 और संशोधन अधिनियम 2014 तहत कंपनी सभी पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवारों से, जिन्होंने आई. टी. आई. परीक्षा यू.पी और एम.पी के संस्थानों से उत्तीर्ण की है, ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित ट्रेड में आमंत्रित करता है।

क्र. सं.	पोर्टल पर प्रतिष्ठान का नाम एवं पंजीकरण संख्या	ट्रेड	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	क्षतिग्र आरक्षण दिव्यांग (PWDs) के लिए		कुल	शिक्षता प्रशिक्षण की अवधि		
							उपयुक्त श्रेणी	दिव्यांग न्यूनतम शारीरिक आवश्यकता			कुल	
1	E0116230 0007 नॉर्दर्न कोलफील्ड्स	वेल्डर (गैस एवं विद्युत)	51	15	14	20	2	2	S.ST.W.BN.MF.SE	4	100	1 वर्ष
2	ल्ड्स लिमिटेड पो. सिंगरौली	इलेक्ट्रे शियन	254	75	71	100	10	10	S.ST.W.L.MF.S E	20	500	1 वर्ष
3	कोलियरी, जिला-:	फीटर	406	120	114	160	16	16	S.ST.W.BN.L.P P.KC.MF.SE	32	800	1 वर्ष
4	सिंगरौली म. प्र. 486889	मोटर मैकेनिक	51	15	14	20	2	2	S.ST.W.BN.PP.MF	4	100	
		<b>Grand Total</b>	<b>762</b>	<b>225</b>	<b>213</b>	<b>300</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>60</b>	<b>1500</b>	



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889  
Phone: 07805- 266961/267736, (FAX) 267736 website : www.nclcil.in

कूट (Abbreviations): S-वैठना, ST-खड़े होना, W-चलना, BN-झुकना, L-उठाना, MF-उंगलियों से कार्य में सछमता, PP-खीचना और धकेलना,  
KC-झुक कर घुटनों पर चलना, SE-देखना

**निर्धारित अहर्ता /योग्यता:**

- वेल्डर (गैस एवं विद्दुत) हेतु:- 8वीं एवं आई.टी.आई. उत्तीर्ण वेल्डर ट्रेड में एन. सी. वी. टी. या एस. सी. वी. टी. मान्यता प्राप्त केवल यू.पी और एम.पी स्थित संस्थान से
- इलेक्ट्रेशियन हेतु:- 10वीं एवं आई.टी.आई. उत्तीर्ण इलेक्ट्रेशियन ट्रेड में एन. सी. वी. टी. या एस. सी. वी. टी. मान्यता प्राप्त केवल यू.पी और एम.पी स्थित संस्थान से
- फीटर हेतु:- 10वीं एवं आई.टी.आई. उत्तीर्ण फीटर ट्रेड में एन. सी. वी. टी. या एस. सी. वी. टी. मान्यता प्राप्त केवल यू.पी और एम.पी स्थित संस्थान से
- मोटर मेकैनिक हेतु:- 10वीं एवं आई.टी.आई. उत्तीर्ण मोटर मेकैनिक ट्रेड में एन. सी. वी. टी. या एस. सी. वी. टी. मान्यता प्राप्त केवल यू.पी और एम.पी स्थित संस्थान से


सभी ट्रेड हेतु:- सभी सामान्य और ओबीसी वर्ग के आवेदक न्यूनतम 50% अंकों के साथ सम्बंधित ट्रेड में पूर्ण कालिक छात्र के रूप में निर्धारित नियमित पाठ्यक्रम में एन.सी.वी.टी / एस.सी.वी.टी मान्यता प्राप्त केवल यू.पी और एम.पी स्थित संस्थान से आई.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए और आरक्षित वर्ग हेतु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग उम्मीदवार न्यूनतम 45% अंकों से आई.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए।

निर्धारित अहर्ता तिथि:- 30.06.2021 को उम्मीदवार के पास निर्धारित योग्यता, आयु आदि अहर्ता होनी चाहिए।  
आरक्षण उपरोक्त वर्णन अनुसार दिया जाएगा।

**दिव्यंगो(PWDs) हेतु आरक्षण:-**

केवल OL (एक पैर) और HH (श्रुति बाधित) श्रेणी के दिव्यांग उम्मीदवारों को उपरोक्त वर्णन के अनुसार क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।

40% से कम स्थायी विकलांगता/दिव्यंगता के दिव्यांग उम्मीदवार आरक्षण के पात्र नहीं हैं। दिव्यांग उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु Persons with Disabilities(Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Amended Rules, 2009 के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता/दिव्यंगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायगा। एक पैर (OL) एवं श्रुति बाधित (HH) वर्ग के दिव्यांग उम्मीदवार ये सुनिश्चित कर लें की वे दिए गए कार्य को सहायक उपकरण के सहयोग से करने में सक्षम हैं।



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरोली कोलियरी, जिला- सिंगरोली, म.प्र. पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266961/267736, (FAX) 267736 website : www.nclcil.in

स्थानीय / राज्य रोजगार एक्सचेंज/ वोकेशनल रीहैबिलेशन सेंटर के साथ पंजीकृत दिव्यांग उम्मीदवार(पी.डब्ल्यू.डी)जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

आयु:- दिनांक 30.06.2021 को न्यूनतम 16 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्षों की छूट अर्थात अधिकतम 29 वर्ष तक, ओ.बी.सी (नॉन क्रीमी लेयर )के लिए 3 वर्षों की छूट यानी अधिकतम 27 वर्ष तक के लिए आरक्षित पद हेतु ) सभी दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को 10 वर्ष तक की आयु में छूट दी जाएगी (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए 15 वर्ष और ओ.बी.सी (नॉन क्रीमी लेयर) के दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष तक आयु में छूट दी जाएगी)। आवेदकों को डी.जी.ई.टी वेबसाइट [www.apprenticeshipindia.org](http://www.apprenticeshipindia.org) पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और एन.सी.एल वेबसाइट ([www.nclcil.in](http://www.nclcil.in)) पर जा कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

सामान्य नियम एवं शर्तें: एन.सी. एल प्रबंधन शिक्षुता प्रशिक्षण की सीटें बढ़ाने या घटाने या किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के पूरे शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सामान्य अन्य नियम और शर्तें हैं निम्नानुसार हैं।

#### ए- आवेदन प्रक्रिया:


केवल ऑनलाइन आवेदनों ही स्वीकार किया जाएगा।

आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों के पास एक सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है, जो कम से कम तीन वर्ष के लिए वैध होना चाहिए और पोर्टल पर अपलोड करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन और स्वयं-प्रमाणित प्रतिलिपि तैयार रखें।

1. हाल का स्पष्ट रंगीन फोटो (6 माह के भीतर का)
2. स्व हस्ताक्षर
3. माता-पिता या संरक्षक का हस्ताक्षर
4. आई.टी.आई मार्क शीट और आई.टी.आई प्रमाणपत्र
5. जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में 8 वीं / 10 वीं अंकपत्र
6. पैन कार्ड
7. आधार कार्ड
8. जाति प्रमाणपत्र / पी.डब्ल्यू.डी प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गया (यदि लागू हो तो)
9. बैंक खाता विवरण

आवेदन प्रक्रिया के दो चरण हैं:-





CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र. पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889  
Phone: 07805- 266961/267736, (FAX) 267736 website : www.nclcil.in

### पहला चरण

1. वेबसाइट [www.apprenticeshipindia.org](http://www.apprenticeshipindia.org) पर जाएं।
2. उम्मीदवार पंजीकरण पर क्लिक करें और उम्मीदवार प्रोफाइल को पूरा करके पोर्टल पर पंजीकरण करें। पंजीकरण संख्या को नोट करके रख ले।
3. पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के बाद, ऑनलाइन पोर्टल [www.apprenticeshipindia.org](http://www.apprenticeshipindia.org) पर सम्बंधित ट्रेड के लिए नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (प्रतिष्ठान पंजीकरण संख्या E01162300007), सिंगरौली एम.पी. की खोज करके एन.सी.एल में शिक्षता प्रशिक्षण के लिए आवेदन करें।

### दूसरा चरण


1. एन.सी.एल वेबसाइट पर जाएं [www.nclcil.in](http://www.nclcil.in) और कैरियर टैब के अंतर्गत ऑन लाइन भर्ती पर क्लिक करें और फिर "एन.सी.एल. ऑनलाइन आवेदन शिक्षता प्रशिक्षु प्रशिक्षण 2021-22" के लिए उपलब्ध लिंक पर क्लिक करें।
2. लिंक आवेदन के लिए एक ऑनलाइन विंडो खोलेगा जहाँ उम्मीदवारों को [www.apprenticeshipindia.org](http://www.apprenticeshipindia.org) द्वारा प्राप्त पंजीकरण संख्या के साथ अन्य सभी आवश्यक जानकारी भरने की आवश्यकता है।
3. ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद, नवीनतम रंगीन तस्वीर की स्कैन की गई प्रतिलिपि, ऊपर वर्णित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से अपलोड करें। किसी भी दस्तावेज के अभाव में, आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

उम्मीदवार "ऑनलाइन आवेदन पत्र" भरने से पहले ये सुनिश्चित कर लें की उन्होंने सभी सही जानकारी ही दी है। उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

### बी-अन्य नियम और शर्तें:

1. उम्मीदवार आवेदन जमा करने से पहले शैक्षिक योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड की जानकारी के लिए ध्यान से पूर्ण विज्ञापन को पढ़ें। विज्ञापन अधिसूचना दो भाषाओं अर्थात अंग्रेजी और हिंदी में जारी की गयी है और किसी भी अस्पष्टता या भ्रम की स्थिति के मामले में, अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
2. उल्लेखित ट्रेडों में शिक्षता प्रशिक्षण कोयला खदान परिचालन और मशीनों के रखरखाव गतिविधियों में है।
3. ओबीसी श्रेणी में लाभ लेने के लिए, उम्मीदवार को सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में जारी एक नवीनतम जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमे ये भी उल्लेखित हो की वे क्रीमी लेयर से सम्बंधित नहीं हैं जैसा की कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी OM No.36012/22/93-Estt.(SCT) दिनांक 08.09.1993 अनुसूची के कॉलम 3 में वर्णित है। ओबीसी वर्ग से संबंधित लेकिन क्रीमी

Office of General Manager (HRD)




CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889  
Phone: 07805- 266961/267736, (FAX) 267736 website : www.nclcil.in

लेयर में पड़ने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के लाभ के हकदार नहीं हैं। ऐसे ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार "अनारक्षित" श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं।

4. उम्मीदवार के पास दिनांक 30.06.2021 तक निर्धारित योग्यता और आयु होनी चाहिए।
5. अन्य सभी नियम जो एन.सी.एल के इस शिक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम (शिक्षता प्रशिक्षण योजना 2018) की अधिसूचना में उल्लेखित नहीं है, शिक्षता प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (संशोधन अधिनियम 2014) और शिक्षता नियम, 1992 द्वारा निर्देशित होंगे।
6. ऐसे उम्मीदवार जो एक बार शिक्षता प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
7. उम्मीदवारों को केवल किसी भी एक ट्रेड में शिक्षता प्रशिक्षण के लिए आवेदन करना है। एक से अधिक ट्रेडों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उनके आवेदन को पूर्ण रूप से बिना किसी सूचना के खारिज कर दिया जाएगा।
8. चयन प्रक्रिया हेतु आवेदकों को कोई दैनिक भत्ता या यात्रा भत्ता भुगतान नहीं किया जाएगा।
9. आवेदक का स्वास्थ्य शिक्षता प्रशिक्षु अधिनियम 1961 (संशोधन सहित) तथा एन.सी.एल.की खदानों में नियोजन-पूर्व चिकित्सा फिटनेस के अनुसार होना चाहिए और प्रशिक्षण प्रारंभ से पूर्व आवेदक को दिए गए प्रारूप के अनुसार सक्षम चिकित्सा अधिकारी से जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. मेरिट सूची प्राप्त आवेदनों में से तैयार की जाएगी। मेरिट पूरी तरह से आई.टी.आई. में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाएगी इस आधार पर बनी मेरिट में यदि दो या उससे अधिक उम्मीदवार अंकों के आधार पर सामान आते हैं तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार (8वीं/10वीं प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्म तिथि के अनुसार) को प्राथमिकता दी जाएगी (मेरिट में ऊपर रखा जायेगा)।
11. प्रशिक्षुओं को किसी भी हाल में एन.सी.एल के प्रतिष्ठानों में से किसी में भी कर्मचारी के रूप अवशोषित/स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रशिक्षु किसी भी स्थिति/परिस्थिति में एन.सी.एल में रोजगार के लिए दावा नहीं करेगा। रोजगार के लिए इस तरह के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को जिन्हें प्रशिक्षण हेतु लिया जायेगा उन्हें या अभिभावक (नाबालिग के लिए) एक वैध नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे किसी भी रूप में एनसीएल में रोजगार का दावा नहीं प्रस्तुत करेंगे। (प्रारूप प्रशिक्षण प्रारंभ होने के समय में दिया जाएगा)।
12. प्रशिक्षु को वृत्तिका सीधे उनके आधार लिंकड बैंक खाते में शिक्षता प्रशिक्षण अनुबंध या अन्य लागू नियम अधिनियम के अनुसार दी जाएगी।
13. उम्मीदवारों को वैध और सक्रिय मोबाइल नंबर तथा ईमेल पता देना होगा जो की भविष्य की सभी आवधिक नोटिस और अन्य संचार के लिए कम से कम अगले तीन वर्ष के लिए वैध/सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि उम्मीदवारों को सभी सूचनाएं केवल ईमेल या एस.एम.एस अलर्ट के माध्यम से ही दी जाएगी तथा साथ ही सलाह दी जाती है कि वे अपना ईमेल / एस.एम.एस संदेशों को समय समय पर देखते रहें क्योंकि भविष्य में सभी संचार ईमेल या एस.एम.एस के माध्यम से ही किए जाएंगे।
14. उम्मीदवारों को समय-समय पर एनसीएल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि एन.सी. एल में शिक्षता प्रशिक्षु प्रशिक्षण के संबंध में सभी भावी पत्राचार और नवीनतम जानकारी हमारी वेबसाइट या ईमेल या एसएमएस अलर्ट पर ही दी जाएगी।




15. आवेदन पत्र /पंजीकरण जो गलत भरे हैं/अधूरे हैं या किसी अन्य मोड में प्राप्त होते हैं, या पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं और / या ऑन-लाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होते हैं उनको "योग्य" नहीं माना जाएगा और आवेदक को बिना किसी पूर्व सूचना के "अस्वीकृत" कर दिया जायेगा।
16. आवेदक जिन्होंने अधूरे आवेदन दिए हैं या आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए हैं, या/ और किसी भी नियम और शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, आवेदक को बिना किसी पूर्व सूचना के अस्वीकृति कर दिए जायेंगे।
17. बाहरी दबाव या अन्य किसी भी प्रकार की सिफारिश करने या कराने वाले उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु चयन प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार होती है अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है की वे चयन हेतु किसी भी प्रकार के असंवैधानिक या असामाजिक तत्वों से दूर रहें।
18. प्रशिक्षुओं को उनके शिक्षता प्रशिक्षण, वृत्तिका, छुट्टियों, उपस्थिति, शिक्षता प्रशिक्षण की डायरी आदि के लिए के लिए एनसीएल की विभिन्न क्षेत्रों/परियोजनाओं के पूरे प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जाएगा।
19. किसी भी प्रकार के तथ्यों को छुपाना या गलत जानकारी देना या फर्जी प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले उमीदवार की उम्मीदवारी आवेदक को बिना किसी पूर्व सूचना के अस्वीकृति कर दी जाएगी।
20. शिक्षता प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के नियमों या शर्तों में किसी भी प्रकार बदलाव किया जा सकता है और वो बदलाव हर स्थिति में मान्य होगा। एनसीएल किसी भी रूप में इस विज्ञापन नोटिस की शर्तों या नियमों में जरूरी परिवर्तन / संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। शुद्धिपत्र केवल एनसीएल वेबसाइट ([www.nclcil.in](http://www.nclcil.in)) पर ही प्रकाशित किया जाएगा।
21. चयन के बाद शिक्षता प्रशिक्षुओं(अभिभावक नाबालिग के लिए) और महाप्रबंधक (कार्मिक/भर्ती), एनसीएल के बीच शिक्षता प्रशिक्षण अनुबंध किया जायेगा और शिक्षता प्रशिक्षण के क्षेत्रीय निदेशालय के अनुमोदन के लिए पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
22. शिक्षता प्रशिक्षण से सम्बंधित किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा केवल जिला सिंगरौली की अदालतों अधीन किया जाएगा।
23. कंपनी के पास शिक्षता प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षुओं के चयन के लिए किसी भी अन्य वैकल्पिक और वैध तरीके को अपनाने का अधिकार होगा।
24. प्रशिक्षुओं को एन.सी.एल. में शिक्षता प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार हॉस्टल गेस्टहाउस, क्वार्टर, आवागमन आदि की व्यवस्था नहीं प्रदान की जायगी।

**सी-आवेदन अस्वीकृति:-**

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है के वे आवेदन करने से पूर्व अधिसूचना को ध्यान से और अच्छी तरह से पढ़ लें। अन्यथा आवेदन को निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है:

- i. अपूर्ण आवेदन।
- ii. दिनांक 30.06.2021 तक निर्धारित योग्यता का नहीं होना है।



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266961/267736, (FAX) 267736 website : www.nclcil.in

- iii. उम्मीदवार जिन्होंने आई.टी.आई. परीक्षा उ.प्र. या म.प्र. के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य से उत्तीर्ण किया है।
- iv. आयु अधिक या कम होना या जन्म तिथि नहीं भरी होना या गलत भरा होना।
- v. कलर फोटो के बिना आवेदन, टोपी, काले चश्मे पहनने के साथ कलर फोटो, विकृत फोटो या न पहचानने योग्य या अस्पष्ट फोटो का होना।
- vi. उम्मीदवार का **Debarred** सूची में नाम होना।
- vii. कोई अन्य अनियमितता भी आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त कर सकती है।
- viii. केवल एक ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। एक ही उम्मीदवार द्वारा कई आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी किसी भी सूचना के बिना खारिज कर दी जाएगी।
- ix. यदि उम्मीदवार नाम या उसके पिता के नाम या जन्मतिथि आदि में **8वीं/10वीं** के प्रमाण पत्र या आई.टी.आई प्रमाण पत्र या एन.सी.एल. ऑनलाइन आवेदन पत्र/अपरेंटिस पोर्टल पंजीकरण/पैन कार्ड/आधार कार्ड/जाति प्रमाण पत्र/पी. डब्लू. डी. प्रमाण पत्र आदि भिन्न-भिन्न (समान नहीं होना) होता है तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

1. ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ तिथि: **10.06.2021**

2. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: **09.07.2021 5:00 PM**

किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी या ऑनलाइन आवेदन को भरने में सहायता के लिए किसी भी कार्यदिवस को 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

महाप्रबंधक (कार्मिक) कार्यालय  
एन.सी.एल सिंगरौली, एम.पी-486889  
संपर्क नंबर। 07805-256573  
Email: [rectt.ncl@coalindia.in](mailto:rectt.ncl@coalindia.in)

(चार्ल्स जुस्टर)  
महाप्रबंधक(कार्मिक/भर्ती)

प्रति सादर सूचनार्थ :


1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनसीएल
2. निदेशक- तक.सञ्चालन/ कार्मिक /तक.योजना-परियोजना/वित्त,एनसीएल
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी, एनसीएल  
वितरण

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  
(मिनि रत्न कंपनी)  
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited  
(A Miniratna Company)  
(A subsidiary of Coal India Limited)

Office of General Manager (HRD)



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र. पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889  
Phone: 07805- 266961/267736, (FAX) 267736 website : www.nclcil.in

1. महाप्रबंधक सभी क्षेत्र (परियोजना)/ सी. डब्लू.एस/ सभी विभागाध्यक्ष मुख्यालय / अ. प्र. नि. के तक, सचि./निदेशक कार्मिक के तक, सचि./प्रभारी, एन.एस.सी, आई.डब्लू.एस.एस. कें.भंडार, कें. चिकित्सालय सिंगरौली सभी नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराये जाने के अनुरोध के साथ।
2. महाप्रबंधक (प्रणाली), एनसीएल वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
3. क्षेत्रीय निदेशक, (शिक्षता प्रशिक्षण)  
क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय (RDSDE),  
4<sup>th</sup> मंजिल, गैस राहत और पुनर्वास आई.टी.आई भवन,  
गोविंदपुरा, भोपाल - 462023----- व्यापक प्रचार के लिए
4. जिला रोजगार अधिकारी, सिंगरौली / सोनभद्र--- व्यापक प्रचार के लिए
5. सभी नोटिस बोर्ड।